रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1997/फाल्गुन 6, 1918
No. 78] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 1997/PHALGUNA 6, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 93 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि स्ट्रैपटोमाइसीन और पैनिसिलीन के नियत मात्रा में संयोजन का प्रयोग ऐसे चिकित्सीय महत्त्व का नहीं है जिनके लिए दावा किया जाता है या दावा किया जाना तात्पर्यित है,

और स्ट्रैपटोमाइसीन और पैनिसिलीन के उक्त संयोजन का लोकहित में विनिर्माण, विक्रय और वितरण प्रतिषेध करना आवश्यक और समीचीन है;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका (सिविल) सं. 698 में ड्रग एक्शन फोरम और अन्य बनाम भारत संघ वाले मामले में यह समुचित समझा है कि स्ट्रैपटोमाइसीन तथा पेनिसिलीन इन्जैक्शन के नियत मात्रा में संयोजन को बाजार से हटाने के लिए 1 जनवरी, 1998 नियत की जानी चाहिए।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैनिसिलीन के साथ स्ट्रैपटोमाइसीन की नियत मात्रा का संयोजन रखने वाले आन्त्रेतर सम्पाक के विनिर्माण और विक्रय का 1 जनवरी, 1998 से प्रतिषेध करती है।

[सं. एक्स-11014/5/96-डी. एम. एस. एण्ड पी. एफ. ए.]
रेनु साहनी धर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 1997

G.S.R. 93(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the fixed dose combination of streptomycin and penicillins does not have therapeutic value claimed or purported to be claimed for them ;

And whereas it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said combination of streptomycin and penicillins in the public interest ;

And whereas the Supreme Court of India in the case of W.P. (Civil)/No. 698 of 1993, Drug Action Forum and others V/S Union of India have considered it appropriate that the time for phasing out the fixed dose combination of streptomycin and penicillins injection from the market should be fixed upto the 1st January, 1998.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture and sale of parenteral preparations containing fixed dose combination of streptomycin with penicillins with effect from 1st January, 1998.

[No. X-11014/5/96-DMS & PFA]

RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.